रणथम्भौर बाघ परियोजना में जानवरों की गणना

1291. **डा० अबरार अहमद** : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रणथम्भौर बाघ परियोजना में जानवरों की गणना प्रति वर्ष की जाती है ;

(ख) यदि हां, तो जनवरी, 1980 से 30 जून, 1992 तक यह गणना कितनी बार की गई थी और इन गणनाओं के दौरान बाघों, सांभरों और चीतलों की अलग अलग संख्या क्या थी ;

(ग) क्या यह सच है कि मार्च-अप्रैल, 1992 में की गई गणना में उक्त परियोजना में बड़ी संख्या में बाघ गायब पाये गये थे, यदि हां, तो तत्पश्चात् सबंधित वन अधिकारियों ने क्या कदम उठाये थे और उस गणना का ब्यौरा क्या है तथा क्या गणना किये जाने से पहले अधिकारियों को बाघों के गायब हो जाने के संबंध में कोई आभास हुआ था,; और

(घ) उक्त परियोजना में इस समय काम कर रहे कर्मचारियों की श्रेणीवार संख्या क्या है और वहां कार्यरत जीपों, जिप्सियों और वायरलैस सेटों का ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) :(क) से (घ) सूचना राजस्थान की राज्य सरकार से एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।

मध्य प्रदेश में वृक्षारोपण के लिए गैर-वन भूमि

1292. **श्री कैलाश नारायण सारंग** : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वन संरक्षण अधिनियम के अधीन वनों की कटाई की क्षतिपूर्ति करने के लिए मध्य प्रदेश में कितने हैक्टेयर क्षेत्र का गैर-वन भूमि बैंक बनाया गया है ;

(ख) इस समय केन्द्रीय सरकार और आवेदक विभागों के पास लंबित पड़ी परियोजनाओं के लिए कुल कितने हैक्टेयर गैर वन भूमि की आवश्यकता पड़ने की संभावना है ; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार शेष वन-भूमि, जिस पर से अब वन काट दिया गया है, के दोगुने क्षेत्र में वन रोपण करने की स्वीकृति प्रदान करेगी ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) मध्य प्रदेश राज्य सरकार से प्राप्त ब्यौरों के अनुसार क्षतिपूरक, वनरोपण के लिए 13441 हेक्टेयर गैर-वन भूमि की शिनाख्त की गई है ।

(ख) क्षतिपूरक वनरोपण के लिए अपेक्षित गैर-वन भूमि की सीमा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत हस्तांतरण के लिए अनुमोदित वन क्षेत्र, परियोजना के स्वरूप, भौगोलिक अवस्थिति और अधिनियम के तहत अनुमोदित करते समय केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों पर निर्भर करती है ।

(ग) वन (संरक्षण) अधिनियम के तहत प्रस्तावों की जांच के सम्बन्ध में केन्द्र सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों के अनुसार, कतिपय श्रेणियों के प्रस्तावों के लिए गैर-वन भूमि पर क्षतिपूरक वनरोपण की आवश्यकता होती है । तथापि, यदि क्षतिपूरक वनरोपण के लिए गैर-वन भूमि उपलब्ध नहीं होती है, तो अवक्रमित वन भूमि पर क्षतिपूरक वन रोपण करने पर विचार किया जाता है ।